न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट भजेडा)

वाद संख्या :— 02 / 36 / 2016

<u>जौहरी बनाम बरजी वगैरा</u>
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 28.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट भजेडा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 11.03.2016 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 306 / 0.59, 332 / 0.40, 333 / 6530.14, 359 / 0.78, 500 / 2.12 है. वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 02.06.2016 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की प्रार्थी के हिस्से तक रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। उनके द्वारा जवाब पेश किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2046, 2033—37, 2050—53, मिलान क्षेत्रफल 246, नामान्तकरण संख्या 117 व 12 का अवलोकन किया। प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया प्रार्थी की सहखातेदारी साबित होती है इसलिए प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 306 / 0.59, 332 / 0.40, 333 / 6530.14, 359 / 0.78, 500 / 2.12 है. वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 11.03.2016 का प्रचलन दावे के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 कैम्प कोर्ट भजेडा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट भजेडा)